

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर (चूरु)  
पीठासीन अधिकारी :- डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 02/2024

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम व  
अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय दिनांक :- 18/12/2024

अनुवान बन्नाराम बनाम राजस्थान सरकार

### आदेश


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सहजासर तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खाता संख्या नया 178 पुराना 242 व ग्राम मेहरासर उपाधियान तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में खाता संख्या नया 67 पुराना 54 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 18/12/2024 को निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या नया (पुराना)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सहजासर	178 (242)	बनवारी पुत्र भूराराम	बन्नाराम पुत्र भूराराम
2	मेहरासर उपाधियान	67 (54)	बनवारी पुत्र भूराराम	बन्नाराम पुत्र भूराराम

  
डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सरदारशहर (चूरु)

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन दिवस में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावें।
2. प्रार्थी श्री/श्रीमती .....

  
डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
सरदारशहर (चूरु)

